न्यायालय समाहर्त्ता, पूर्णिया

आदेश की सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख
21.01.2020		

उत्पाद वाद संख्या-287/2019

राज्य

बनाम

1. मनोज कुमार मेहता, पिता-जयमंगल मेहता, सा0-नक्कीपुर करमुटोला, बैजनाथपुर, सिमरिया, कटिहार। (जप्त TEMPU No.-BR11T-4317 के मालिक)

आदेश

अभिलेख उपस्थापित। यह वाद **बायसी थाना कांड सं0-100/2019 दिनांक 15.05.2019** के आलोक में प्रारम्भ की गई है। **पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया के पत्रांक 2780/हि0शा0 दिनांक-26.07.2019** द्वारा प्राप्त प्रस्ताव एवं संलग्न कागजातों में वर्णित है कि **उक्त वाहन की जांच** दिनांक 15.05.2019 **को बायसी मौरा पुल के पास की गई।** जांच के क्रम में **जप्त वाहन से ROYAL GOLD WHISKY का 20 बोतल (प्रति बोतल 750 मि0ली0) एवं OFFICERS CHOICE WHISKY का 45 पीस (प्रति पीस 180 मि0ली0) विदेशी शराब** पाया गया। तत्पश्चात् जप्ती सूची तैयार कर प्राथमिकी दर्ज कराई गई। पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया द्वारा बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत् जप्त वाहन को राजसात करने की अनुशंसा की गई है।

इस वाद में विपक्षी द्वारा दिनांक 14.01.2020 को अपना कारणपृच्छा समर्पित किया गया, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि बायसी थाना काण्ड सं0-100/2019 के तहत् उनका **TEMPU No.-BR11T-4317** जप्त नहीं हुआ है। इस नम्बर का उपयोग बायसी थाना काण्ड सं0-100/2019 के अभियुक्तों द्वारा किया गया है। प्रश्नगत वाहन विपक्षी के पास उपलब्ध है।

उत्पाद विभाग की ओर से प्राधिकृत विद्वान अधिवक्ता को सुना। उनके द्वारा बताया गया कि **जप्त वाहन से ROYAL GOLD WHISKY का 20 बोतल (प्रति बोतल 750 मि0ली0) एवं OFFICERS CHOICE WHISKY का 45 पीस (प्रति पीस 180 मि0ली0) विदेशी शराब** बरामद हुआ है। इस प्रकार जप्त वाहन का उपयोग शराब के परिवहन में किया गया है। विपक्षी मनोज कुमार मेहता द्वारा समर्पित कारणपृच्छा से यह स्पष्ट होता है कि बायसी थाना काण्ड सं0-100/2019 अंतर्गत जो टेम्पू जप्त हुआ है, उसका वास्तविक निबंधन सं0-**BR11T-4317** नहीं है, बल्कि अभियुक्तों द्वारा इस निबन्धन सं0 का फर्जी तरीके से उपयोग किया गया है। इस प्रकार इस

काण्ड में जप्त वाहन को अज्ञात माना जा सकता है। बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 56 में अधिहरण की जा सकने वाली चीजों का वर्णन है, जिसकी उपधारा 'घ' में वर्णित है कि "उसे ढ़ोने के काम में लाये जाने वाले पशु, वाहन, जलयान या परिवहन के अन्य साधन।" स्पष्ट है कि जप्त वाहन के द्वारा शराब का परिवहन किया गया है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा-99 "विधिमान्यकरण के अनुरूप बिहार उत्पाद अधिनियम से संबंधित पूर्व में किये गये सभी तरह के अपराध और उसके अनुसंधान से संबंधित सारे प्रावधानों पर वर्त्तमान बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के प्रावधान ही लागू होंगे और इसी अनुरूप अपराध और अनुसंधान के कार्य निष्पादित किये जायेंगे।" ऐसी स्थिति में उक्त अधिनियम के तहत् प्राप्त शक्ति के आलोक में जप्त वाहन को राजसात किया जाना आवश्यक है।

विपक्षी मनोज कुमार मेहता से प्राप्त कारणपृच्छा, पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया से प्राप्त प्रस्ताव, उत्पाद विभाग की ओर से प्राधिकृत विद्वान अधिवक्ता का अभिकथन तथा अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इस काण्ड में जप्त वाहन, जिसमें फजी तरीके से विपक्षी के निबंधन सं0 का उपयोग किया गया है, से अवैध शराब जप्त हुआ है। स्पष्ट है कि जप्त वाहन के द्वारा शराब का परिवहन किया गया है। संपूर्ण बिहार राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागु होने के बाबजूद जप्त वाहन से शराब पाया जाना दण्डनीय अपराध है। ऐसी स्थिति में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत् उक्त वाहन को राजसात किया जाना विधिसम्मत् प्रतीत होता है।

अतः मैं राहुल कुमार, भा0प्र0से0, जिला दण्डाधिकारी -सह-समाहर्त्ता, पूर्णिया इस वाद अंतर्गत **जप्त TEMPU** (अज्ञात) को बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की कंडिका 58(2) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजसात का आदेश देता हूँ। अधीक्षक उत्पाद, पूर्णिया को निदेश दिया जाता है कि उत्पाद अधिनियम एवं तत्संबंधी संगत प्रावधानों के अनुरूप अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति अनुपालन हेतु उत्पाद अधीक्षक, पूर्णिया को भेजें तथा पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया को भी प्रेषित करें।

इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

समाहर्त्ता,
पूर्णिया।

21/01/2020

समाहर्त्ता,
पूर्णिया।